डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या–153 / 2017

प्रशासन गांवों के संग अभियान
न्याय आपके द्वार-2017
कैम्प........................

1. दिनेश कुमार पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी।
2. नरेश कुमार पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी।

–वादीगण

बनाम

1. बुधराम पुत्र वेदपाल जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी।

–प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल वाई रोबरू हमारे बहाजरी श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत, अधिवक्ता वादीगण मिन जानिब मुदई श्री विकास शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी बुधराम के नाम से चक नम्बर 8 सी.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या– 78 / 64 में म0न0 220 / 250 (28) कि0न0 6, म0न0 221 / 250 (29) कि0न0 7 ता 10, कुल 1.265 है0 नहरी, कमाण्ड व चक नम्बर 10 सी.डी.आर.ए जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या–90 / 78 में म0न0 218 / 252 (14) कि0न0 1, 2, 3, कुल 0.759 है0, दोनो चकों की कुल 2.024 है0 आराजी के वादी संख्या–1 दिनेश कुमार व वादी संख्या–2 नरेश कुमार पि0 बुधराम जाति जाट निवासीयान् कुलचन्द्र बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकारान् घोषित किये जाते हैं तथा प्रतिवादी बुधराम पुत्र वेदपाल जाति जाट निवासी कुलचन्द्र का नाम खाता हाजा से कलमजात किया जाता है। बैंक हित सुरक्षित रखते हुये उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

बाबत ...... निल ....खर्चा मुकदमें निज ...... निल ...... मुद्दिलक .... निल .... मय सूद बा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...15.6.2017 के अदा करें।

आज बतारीख मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से दिनांक 15.6.2017 को राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कुलचन्द में जारी किया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी